बातचीत के बिंदु-27

मजदूर –किसान संघर्ष रैली

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

5 सितम्बर 2018

संसद के समक्ष

सफाई कर्मचारियों के लिए उचित एवम् समानजनक जीवन

कुछ ओ बी सी लोगों को छोड़कर लगभग सभी सफाई कर्मचारी दलित वर्ग से ही होते हैं और उनमें से भी ज्यादातर महिलाएँ होती है। वे गरीब परिवार से होते है तथा आर्थिक कमजोर और सामाजिक रूप से उत्पीड़ित वर्गों से होते हैं।

उनका काम पुरुष और मनुष्य और पशुओं के मल–मूत्र को साफ करना, सड़कों पर फेके गये सड़े –गले भोजन,गन्दगी को साफ करना तथा खुली गन्दगी से भरी नालियों को साफ करना उनका प्रमुख कार्य है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि सफाई आध्यामिकता को प्राप्त करने का मार्ग है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वे अपने पेट पालने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस घिनौने कार्य को करते चले आ रहे हैं।

बीजेपी आर एस एस के समर्थक उनको अपना गुरू और मार्गदर्शी मानने वाले मोदी जी ने कहा था कि एक ऐसा समय आयेगा जब बाल्मिकी जाति के लोग यह समझकर काम करेंगे और इन्हें ज्ञान का बोध होगा कि यहसारे समाज व भगवान की खुशी के काम कर रहे है। क्योंकि वे खुद एक समय स्वयं सेवक थे। इसलिए बीजेपी के गुरू आर एस एस के विचार को प्रकट करता जो कि मनुस्मृति में लिखा है कि दलितो को सामाजिक वर्गीकरण के अनुसार यह काम भाग्य से प्राप्त हुआ है।

शहर की गन्दगी और अवशिष्ट की सफाई करने के लिए जिन कर्मचारियों की नियुक्ति नगरपालिकाओं और निगमों में की जाती है, उन्हें काम करते समय दस्ताने,मास्क,गमजूते जैसी किसी भी प्रकार की सुरक्षा या बचाव सम्बन्धी वस्तु प्रदान नहीं की जाती। यहॉ तक कि जो लोग गन्दे भूमिगत नालों को साफ करने नीचे उतरते है उनके सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं होता है। काम समाप्त करने के बाद अपने हाथ–पैर धोने के लिए साबुन–तेल की व्यवस्था भी नगरपालिकाओं और निगमों की ओर से उपलब्ध नहीं होता। यहॉ तक कि महानगरपालिकाओं में भी,न्यायलयों का आदेश होने के बावजूद, इन वस्तुओं को उपलब्ध नहीं कराया जाता।

राज्य सरकारें इस नवउदारवादी शासन के चलते इन स्थानीय निकायो– नगरपालिकाओं और निगमों को पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं करती है। धन की कमी का बहाना बनाकर सफाई–कर्मचारियों को नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है और कई महीनों तक इसे लम्बित रखा जाता है।

सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति भी उचित मानदण्डों के अनुसार नहीं होती। श्रमिकों पर कार्यभार बढ़ गया है। स्थायी पदों को कम कर दिया गया है,नवउदारवादी नीतियों के चलते ठेके पर काम दिया जा रहा है। आजकल नगरपालिकाओं,निगमों तथा पंचायतों में अधिकतर ठेकेदारों द्वारा सफाई कर्मचारियों की आपूर्ति हो रही है। मुख्य ठेकेदार एक उपठेकेदार को यह काम सौंपता है और वह एक दूसरे उपठेकेदार को यह काम देता है इस प्रकार कई उपठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिक को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता उस पर छोटी सी पगार में से कमीशन भी काटा जाता है। इन श्रमिकों के पास न कोई भविष्य निधि या चिकित्सा की सुविधाएँ होती है और न कोई पेंशन या सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। कई मालिक उनसे जबरदस्ती काम करवाते हैं और भुगतान की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। ये अजीब और क्रूरता नही ंतो और क्या है?

कुछ शहरों में इन अनुबन्ध श्रमिकों से ऐसे फार्म भरने के लिए मजबूर करते है कि जिसमें वे पी एफ,ई एस आई आदि की मॉग नहीं करेंगे और वे किसी यूनियन में शामिल नहीं होंगे और किसी दुर्घटना के होने पर किसी प्रकार के मुआवजे की मॉग नहीं करेंगे इत्यादि।

इसके अलावा कुछ राजनैतिक नेता नगरपालिका के आफिसरों उच्चअधिकारी उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, उन्हें अक्सर अपने घर बुलाकर सफाई और अन्य कार्य मुफ्त में कराते हैं। महिला सफाई कर्मचारियों के साथ यौन अत्याचार तथा अश्लील व्यवहार भी करते है।

अधिकतर सफाई कर्मचारी और उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कार्य को करती चली आ रही है। इनके दादा–परदादा, माता–पिता जो इस कार्य में संलग्न थे वे अपने बच्चों को यही कार्य सौंप गए हैं। वे अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा का मौका चाहते है ताकि उन्हें नौकरी मिल पाए। उनके बच्चे संविधान के अर्न्तगत प्राप्त आरक्षण के तहत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेने के बावजूद उन्हें योग्य नौकरी नहीं मिलती। आश्चर्य की बात तो यह है कि नगरपालिकाओं और निगमों में जो अन्य जाति के लोग सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त होते हैं कुछ समय बाद उनसे ' कर वसूली', 'कार्यालय सहायक ' आदि के रुप में काम लिया जाता है। लेकिन अधिक शिक्षित होने पर भी दलित को सफाई का कार्य ही दिया जाता है। अगर किसी दलित स्वीपर की अकाल मृत्यु हो जाए तब उनके बेटों को अधिक शिक्षित होने के बावजजूद स्वीपर का काम ही दिया जाता है। हाथ से गन्दगी उठाने वाले के पुर्नवास योजना के अनुसार सरकार शौचालय बनाने के लिए ऋण मंजूर करती हैं लेकिन वह पैसा

कहॉ जाता है? पता नहीं! सत्तारुढ़ नेताओं का सामान्य दृष्टिकोण यही है कि दलित का कार्य सिर्फ सफाई करना ही है।

सरकारें मेहतरों से ऐसे घिनौने कामों का उन्मूलन करने की बात करती है। दशकों से इस विषय पर चर्चा होती रही है, लेकिन अब तक इसको खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मेहतरी के उन्मूलन पर सबसे पहले 1993 में एक कानून बनाया गया और दो दशकों के बाद 2013 में दूसरा कानून पास हुआ। इस कानून के अनुसार मेहतर अपने हाथों से गन्दे शौचालय,मल–मूत्र,मलकुण्डों तथा रेल की पटरियों पर पड़े मल गन्दगी की सफाई करने के काम का उन्मूलन का था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट सीवर की सफाई को इस सूची में शामिल किया। लेकिन अब भी कई लाख कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। देश की राजधानी और कई राज्यों–यूपी,एमपी,राजस्थान, गुजरात बिहार और पूरे देश के रेलवे लाइनों पर मेहतर अभी भी कार्य कर रहे है।

कई राज्यों में, प्रशासन केवल मैनुअल स्कैवन्जर के अस्तित्व को इनकार करता है। सूखे शौचालय को ध्वस्त करने का ठोस सबूत दिया जाता है,लोगों के शिकायतें करने वालो को झूठे शपथपत्र देने का आरोप लगाया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाही की मॉग की जाती है। अब भी रेल पटरियों और प्रमुख स्टेशनों पर मेहतर काम करते दिखाई देते हैं।

मीडिया में सीवर और सेप्टीटैंक (मलकुण्ड) की सफाई करते समय कई मेहतरों की मौत की घटनाऍ अक्सर रिपोर्ट की जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार पिछले कुछ सालों में सीवर और सेप्टी टैंकों सफाई करते हुए 754 श्रमिकों की मौत हो गई उसमे से 84 मृतक भारत की राजधानी दिल्ली से थे। सिर्फ 34 दिनों में 10 लोगों की मृत्यु हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला

दिया कि इन श्रमिकों के परिवारों को 10 लाख रूपये मुआवजे के तौर पर दिया जाना चाहिए लेकिन बहुत कम लोगों को मुआवजा प्राप्त हुआ। सीवर और हाइड्रेंड की सफाई करते हुए मरने वाले श्रमिक अधिकतर ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किये गये जाते हैं। ऐसे परिवार वालों को कुछ भी नहीं मिला। ठेकेदार स्पष्ट रुप से इनकार कर देते हैं कि वे उनके कर्मचारी हैं। यहॉ तक कि ठेकेदारों के रोजगार रजिस्टर में उनके नाम दर्ज भी नहीं होते हैं। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को इन हमारे देश में लागू किया जाता है।

जो श्रमिक मेहतरी का काम छोड़ना चाहता है उसे रु0 40,000/– दिये जाते हैं! क्या इस छोटी सी धनराशि से वह स्वरोजगार चला सकेगा? उस पर इस अल्पधनराशि में कई तरह की कटौतियां भी की जाती है। इनके पुर्नवास के लिए बजट में आये दिन राशि को घटाया जा रहा है। 2013–2014 के बजट में 557 करोड़ निर्धारित किया गया उसे घटाकर 2016–2017 में 10 करोड़ और 2017–2018 में 5 करोड़ कर दिया गया ।

सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े धूमधाम से 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत की। इसमें सफाई कर्मचारी जो वास्तव में शहरों और कस्बों की सफाई करते हैं,उनकी दशा में सुधार लाना इस अभियान का महत्वपूर्ण अंश होना चाहिए था। लेकिन नहीं यह मुख्य रुप से प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दलों के अन्य नेताओं के फोटो सेशन तक सीमित रह गया। इसके लिए विज्ञापन पर हजारों–करोड़ों रुपये जनता की धनराशि से खर्च किये। लेकिन करोड़ों झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इस अभियान से न तो किसी सफाई कर्मचारी का भला हुआ ना ही करोड़ों गरीब श्रमिकों का। गरीब श्रमिक,प्रवासियों तथा अन्य लोगों का जो, अस्वास्थयकर परिवेश में रहते हैं, तंग गलियों में छोटी–छोटी झोपड़ियों में जहॉ नालियों से पानी बहता है, मक्खी–मच्छर भिनभिनाते रहते है, कुत्ते,सूअर और अन्य जानवर घूमते हैं, ऐसे गन्दे माहौल में रहने वाले श्रमिकों की दशा के कोई सुधार नहीं हुआ है। उनकी परिस्थितियों में सुधार करने के बजाय सरकारी अधिकारी खुले में मल–मूत्र विर्सजन करने पर मजाक उड़ाती है और उन्हें खुले में मल–मूत्र जाने पर सजा दी जाती है। ऐसे गरीबों के जीवन स्थिति में सुधार किये बिना क्या 'स्वच्छ भारत' हो सकता है?

कई राज्यों में सफाई कर्मचारी एकजुट होकर अपनी मॉगों के लिए लड़ रहे हैं,जिसमें उनको नियमितिकरण, बेहतर मजदूरी और अच्छी कामकाजी परिस्थितियॉ आदि मिले। कुछ राज्यों में वे अपनी मॉगों को पाने में भी सक्षम हुए। हालांकि,जब तक नवउदारवादी नीतियां जो नियमित श्रमिकों की संख्या कम कर आउट सोर्सिंग और ठेकेदारी को बढ़ावा देगी,तब तक इन सफाई कर्मचारियों की हालात में कोई सुधार न होगा और न वे योग्य–प्रतिष्ठित जीवन को जी सकेंगे।

मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की केन्द्र सरकार और गैर वामपंथी दलों की राज्य सरकारें गरीब श्रमिकों के शोषण को बढ़ाकर ठेकेदारों और दलालों के विभिन्न स्तरों को समृद्ध करने के लिए पूरी तरह से नवउदार नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके साथ मनुस्मृति की प्रतिशोध एवम् प्रतिकूल विचारधारा की पदानुक्रम को बढ़ावा दे और दलितों पर जुल्म ढायें जाएं,अमनवीय व्यवहार किया जाए का समर्थन आर एस एस द्वारा निर्देशित बीजेपी की सरकार बचनवद्ध होकर उन आदेशों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखती है। यह एक ठोस सबूत है कि स्वयं प्रधानमंत्री ने इेन मतों को व्यक्त किया। आये दिन बीजेपी और आर एस एस के नेताओं द्वारा ऐसी विचारधारा को देश के हर कोने पर सुनाई पड़ती है पिछले चार सालों से तथा कथित 'उच्च जाति' के लड़के –लड़कियों के साथ विवाह और 'गऊ संरक्षण' के बहाने गरीब दलितों पर अत्याचार किये जा रहे हैं।

5 सितम्बर, 2018 को ' मजदूर किसान संघर्ष रैली' मजदूरों,किसानों और कृषि श्रमिकों आदि को एकजुट करके नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को तेज करना चाहती है। आर

एस एस और बीजेपी के विभाजनात्मक नीतियों को विफल करने के लिए एकजुट होना है। यह नीतियां मेहनतकशों की एकता को तोड़कर बडे धनवानों,ठेकेदारो और भूस्वामियों, के शोषण बनाए रखने में मददगार होती है। जमींदारों के शासन को तोड़ने का प्रयत्न करना हैं। गरीबों, श्रमिकों के जीवन स्थिति को सुधारने तथा उन्हें आदर के साथ जीने के लिए सामाजिक न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर उनका मार्ग प्रशस्त करना है।

- एकजुट हो! संघर्ष करो!
- प्रतिशत हितसाधन करने वाली सरकारों के विरूद्ध !
- 99.9 प्रतिशत के फायदे की नीतियों के लिए